20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2013 पुनरीक्षण जिला-पन्ना

R 414-II/13

श्री मुकेश भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 31-1-13 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
31-1-13 एडवोकेट
ग्वालियर

For Mukesh Bhargava Adv.

1. जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व. खुन्नूलाल विश्वकर्मा निवासी लेले गली नइ बस्ती कटनी तह. व जिला कटनी

2. रमेश विश्वकर्मा पुत्र स्व. खुन्नलूलाल विश्वकर्मा निवासी इंदिरा ज्याति कालोनी नेहरू वार्ड बरगुंवा कटनी तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

3. शरद कुमार पुत्र स्व. खुन्नूलाल विश्वकर्मा निवासी सावरकर वार्ड, कटनी तहसील व जिला कटनी

4. श्रीमती माया बेवा राजेश विश्वकर्मा निवासी एस बीडियो कियेशन लल्लू भैया की मूर्ति के पीछे गोल बाजार कटनी तहसील व जिला कटनी

5. कु. श्रुति पुत्री स्व. राजेश विश्वकर्मा

6. कु. हेमा पुत्री स्व. राजेश विश्वकर्मा
कं. 5 व 6 नाबालिक द्वारा बली व पालक मां श्रीमती माया बेवा राजेश विश्वकर्मा निवासी एस बीडियो कियेशन लल्लू भैया की मूर्ति के पीछे गोल बाजार कटनी तहसील व जिला कटनी

.... आवेदकगण

विरूद्ध

राकेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व. खुन्नूलाल विश्वकर्मा निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी म. नं. 1 एल.आई.जी. नगर सुधार न्यास कॉलोनी के पीछे कटनी तह. व जिला कटनी

.... अनावेदक

For G P Naik Adv.

(3)

न्यायालय कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा अपील प्रकरणकमांक 634/अ–6 वर्ष 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 11.12.12 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदकगण ने दिनांक 9.1.2009 को संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय तहसीलदार शाह नगर के समक्ष प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया कि ग्राम कचौरी तहसील शाहनगर में स्थित भूमि आराजी नं. 984, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993 कुल किता 9 कुल रकवा 4.58 हे. आवेदकगण 1, 2, 3 के पिता 4 के ससुर एवं 5 व 6 के दादा स्व. खुन्नूलाल पिता गोपालदास विश्वकर्मा के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमियां है आवेदकगण के पिता का दिनांक 3.12.2007 को स्वर्गवास हो गया है। आवेदकगण के पिता द्वारा दिनांक 14.11.2007 को एक वसीयतनामा लिखा गया है। अतः वसीयतनामा के आधार पर वसीयतग्रहीतागणों के नाम नामांतरण कियाजाये। एक वसीयतग्रहीता राजेश कुमार की दिनांक 21.7.2008 को मृत्यु हो चुकी है जिस कारण उसके विधिक वारसान आवेदक कं. 4 पत्नी एवं कं. 5 व6 पुत्रिया है जिनके नाम नामांतरण किया जाना है। तहसीलदार शाहनगर द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 04/ अ–6 वर्ष 2008–09 पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत यह पाया कि वादग्रस्त भूमियां कुल रकवा 4.58 हे. वसीयतकर्ता स्व. खुन्नूलाल विश्वकर्मा की स्वअर्जित सम्पत्ति है, पुस्तैनी सम्पत्ति नहीं है। अतः उपरोक्त भूमि 4.58 हे.

(3)

निगरानी-414-दो/2013

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
पन्ना

प्रकरण क्रमांक निगरानी-414-दो/2013 जिला कटनी जगदीश प्रसाद विरूद्ध राकेश कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-07-2018	1) प्रकरण प्रस्तुत । 2) आवेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री जी.पी. नायक को पूर्व में दिनांक 06-07-2018 को सुना गया । 3) निगरानीकर्ता के द्वारा न्यायालय आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 634/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 11-12-2012 के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है । 4) अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय के द्वारा अनावेदकों की अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-03-2010 एवं तहसीलदार शाहनगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-07-2009 निरस्त किया जाकर स्व. खुन्नूलाल विश्वकर्मा के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज भूमियों पर मृतक के समस्त वैधानिक वारिसानों के नाम नामांतरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है । 5) मेरे द्वारा पुनरीक्षण आवेदन का अध्ययन किया गया एवं उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गये । निगरानीकर्ता के अभिभाषक के द्वारा अपने तर्कों में बात दोहराई गई है जो उन्होनें निगरानी आवेदन में वर्णित की है । 6) न्यायालय आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि वसीयतनामा संदेह उत्पन्न करता है । अत: मृतक के सभी पुत्र एवं पुत्रियों के नाम समान	

20/7/18

रूप से नामातंरण किया जाना आवश्यक है, अन्यथा उनके विधिक वारसान न्याय पाने से वंचित रह जायेगें । आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आपत्ति एवं सहमति पत्र में विरोधाभास है । तहसीलदार के द्वारा इस सहमति पत्र के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं ली गई है एवं वसीयत नामा उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड भी नहीं है । इस प्रकार वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार शाहनगर द्वारा जो नामातंरण की कार्यवाही की गई है । वह विधिसंगत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7) अत: उभयपक्षों के तर्क एवं अभिलेख के आधार पर अधीनस्थ आयुक्त सागर के न्यायालयीन आदेश में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत न होने के कारण निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है ।

सदस्य 20.7.18